प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 05.10.2025

थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा 315 बोर व जिन्दा कारतूस बरामद ।

दिनांक 04.10.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान हल्का चौकी लोनी तिराहा के लोनी इण्टर कालेज के पास से अभियुक्त दीपांशु पुत्र राजू निवासी भागीरथी विहार थाना गोकुलपुरी दिल्ली उम्र 20 वर्ष को एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं यह अवैध तमंचा लोगों में रौब दिखाने के लिए अपने पास रखता हूँ। मैं यह तमंचा लेकर घूम रहा था कि आपने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दीपांशु पुत्र राजू निवासी भागीरथी विहार थाना गोकुलपुरी दिल्ली उम्र 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 48 क्वार्टर अवैध शराब बरामद।

दिनांक 04.10.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त गोलू पुत्र बनवारी लाल निवासी ग्राम अकसोली थाना सिकन्दराउ जिला अलीगढ, हाल पता नरेन्द्र का मकान में किराये पर राधा विहार थाना लोनी बोर्डर गा0बाद उम्र 21 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 48 क्वार्टर संतरा देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुये। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर आबकारी अधिनियम की धारा- 60/63 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं हरियाणा से चोरी-छिपे देशी शराब कम दामों में खरीद कर लाता हूँ और अधिक मुनाफा कमाने के लिये आते-जाते लोगों को बेच देता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

गोलू पुत्र बनवारी लाल निवासी ग्राम अकसोली थाना सिकन्दराउ जिला अलीगढ, हाल पता नरेन्द्र का मकान में किराये पर राधा विहार थाना लोनी बोर्डर गा0बाद उम्र 21 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

48 क्वार्टर संतरा देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर पूर्व में 01 अभियोग आबकारी अधिनियम का पंजीकृत है व आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

आज दिनांक 05.10.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शस्त्र के साथ 01 अभियुक्त अमित पुत्र ओमप्रकाश नि० पेलखा गाँव गडी पुख्ता जिला शामली हाल पता गली नं0 06 म० नं0 209 लक्ष्मी गार्डन लोनी गाजियाबाद को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक देशी तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर शस्त्र अधिनियम की धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं अपना रौब दिखाने के लिये अवैध शस्त्र रखता हूँ कि आज पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

अमित पुत्र ओमप्रकाश नि० पेलखा गाँव गडी पुख्ता जिला शामली हाल पता गली नं0 06 म० नं0 209 लक्ष्मी गार्डन लोनी गाजियाबाद उम्र लगभग 40 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

एक अवैध देशी तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर शस्त्र अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद।

आज दिनांक 05.10.2025 को वादी श्री चन्द्रशेखर पुत्र महेन्द्र सिंह नि0 डिफेन्स कालोनी थाना मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा नामजद तहरीर दी गई कि अभियुक्तों द्वारा वादी के भतीजे को जान से मारने की नीयत से चाकू से वार करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर सुसंगत धारा 109/351(3) भारतीय न्याय संहिता - 2023 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 05.10.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त 1.नसीम पुत्र ग्यासुद्दीन निवासी किदवई नगर थाना मोदीनगर उम्र 29 वर्ष 2 . रिजवान पुत्र ग्यासुद्दीन निवासी किदवई नगर थाना मोदीनगर उम्र करीब 20 वर्ष को किदवईनगर गली न0 2 थाना मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया व अभियुक्त रिजवान के विरुद्ध विवेचना में धारा 4/25 आयुध अधिनियम की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान घटना कारित करने का इकबाल करते हुये बताया की कल हमारे दिल्ली-6 होटल गुरुद्वारा रोड पर 02 लडकों के साथ झगडा हो गया था जिसमें रिजवान के द्वारा आवेश में आकर एक लडके पर चाकू से हमला कर दिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1.नसीम पुत्र ग्यासुद्दीन निवासी किदवई नगर थाना मोदीनगर, उम्र 29 वर्ष

2.रिजवान पुत्र ग्यासुद्दीन निवासी किदवई नगर थाना मोदीनगर, उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।